समापन भाषण

माननीय सदस्यगण,

पंचदश बिहार विधान सभा का सप्तदश सत्र दिनांक 03 अगस्त, 2015 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 07 अगस्त, 2015 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल-05 (पाँच) बैठकें हुई ।

सत्र के प्रथम दिन बिहार विधान सभा में उद्‌भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथापारित एवं षोडश् सत्रोपरांत महामहिम राज्यपाल द्वारा अनुमत 10 (दस) विधेयकों का एक विवरण सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया ।

13 (तेरह) जननायकों के निधन पर शोक-प्रकाश किया गया एवं दिवंगत आत्माओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई ।

प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी को सदन में उपस्थापित किया गया ।

राजकीय विधेयकों में यथा (1) बिहार लोक शिकायत निवारण प्राधिकार विधेयक, 2015; (2) बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2015; (3) बिहार कराधान विवाद समाधान विधेयक, 2015; (4) बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) विधेयक, 2015; (5) बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015; (6) आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2015 एवं (7) बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2015 सभा द्वारा स्वीकृत किए गए ।

दिनांक 06 अगस्त, 2015 को वित्तीय वर्ष 2015-16 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित कृषि विभाग के अनुदान की माँग पर वाद-विवाद एवं सरकार के उत्तर के उपरान्त मांग स्वीकृत हुई एवं शेष माँगे गिलोटिन (मुखबंध) द्वारा स्वीकृत किये गये । तदुपरान्त बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2015 सभा द्वारा स्वीकृत हुआ ।

दिनांक 07 अगस्त, 2015 को माननीय प्रभारी मंत्री, गृह (विशेष) विभाग के द्वारा वर्ष 1989-90 में भागलपुर साम्प्रदायिक दंगा न्यायिक जाँच आयोग का प्रतिवेदन पार्ट-2 एवं जाँच प्रतिवेदन पर कृत कार्रवाई प्रतिवेदन (**ATR**) की एक-एक प्रति सदन के पटल पर रखा गया ।

माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिहार राज्य सूचना आयोग का वित्तीय वर्ष 2013-14 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रखा गया ।

माननीय प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के उपलब्धि प्रतिवेदन, वित्तीय वर्ष 2014-15 के चतुर्थ तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन एवं वित्तीय वर्ष 2015-16 के प्रथम तिमाही में प्राप्ति एवं व्यय का रूझान संबंधी परिणाम प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा गया।

माननीय प्रभारी मंत्री, पथ निर्माण विभाग द्वारा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड का वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखा गया ।

माननीय प्रभारी मंत्री, शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड का वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12 एवं 2012-13 का वार्षिक प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सदन पटल पर रखा गया ।

माननीय प्रभारी मंत्री, भवन निर्माण विभाग द्वारा बिहार राज्य भवन निगम लिमिटेड का वर्ष 2013-14 का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा गया ।

लोक लेखा समिति, निवेदन समिति, आंतरिक संसाधन एवं केन्द्रीय सहायता समिति, प्राक्कलन समिति, शून्यकाल समिति, सरकारी उपक्रम संबंधी समिति तथा प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति के प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित किया गया ।

माननीय प्रभारी मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग के द्वारा दिनांक 06 अगस्त, 2015 को पटना में हुई हत्या पर वक्तव्य देते हुए सदन के पटल पर रखा गया तथा दिनांक 27.07.2015 को खगड़िया के परबत्ता प्रखंड अन्तर्गत नया गाँव शिरोमणि टोला में तांती समाज के घरों में लूटपाट से संबंधित वक्तव्य भी सदन के पटल पर रखा गया ।

सत्र के दौरान कुल-464 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई, जिनमें 320 प्रश्न स्वीकृत हुए । स्वीकृत प्रश्नों में 04 अल्पसूचित, 238 तारांकित एवं 78 अतारांकित थे । उत्तरित प्रश्नों की संख्या-00, सदन पटल पर रखे गए प्रश्नोत्तरों की संख्या-00, अपृष्ठ प्रश्नों की संख्या-00 एवं 320 प्रश्न अनागत हुए ।

सत्र के दौरान कुल-47 गैर सरकारी संकल्प की सूचना स्वीकृत हुआ, परन्तु सदन में विचार-विमर्श नहीं हो सका ।

इस सत्र में कुल-38 निवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 35 स्वीकृत हुए एवं 03 अस्वीकृत हुए । कुल-10 याचिकाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 06 स्वीकृत एवं 04 अस्वीकृत हुए । इस सत्र में कुल-62 ध्यानाकर्षण सूचनाएँ प्राप्त हुई, जिनमें 08 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए तथा 53 सूचनाएँ लिखित उत्तर हेतु संबंधित विभागों को भेजे गये एवं 01 अमान्य हुए ।

इस सत्र में प्रश्नकाल का पटना दूरदर्शन द्वारा डेफर्ड प्रसारण किया गया तथा सम्पूर्ण कार्यवाहियों की रिकॉर्डिंग भी की गयी जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है । इन कार्यों से जुड़े कर्मचारी एवं पदाधिकारीगण धन्यवाद के पात्र हैं ।

सत्र के संचालन में भरपूर एवं सौहार्दपूर्ण सहयोग के लिए माननीय मुख्यमंत्री, नेता, विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों का मैं आभारी हूँ । पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी ने जनमानस के बीच सदन की कार्यवाही को ले जाने का जो सराहनीय कार्य किया, उसके लिए उन्हें मैं साधुवाद देता हूँ ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा बिहार सरकार के पदाधिकारियों/कर्मचारियों सहित आरक्षी बल के जवानों ने जिस तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया, इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

पन्द्रहवीं बिहार विधान सभा का सतरहवाँ सत्र आज समाप्त हो रहा है । यह सत्र विधान सभा के इतिहास में हमेशा याद किया जायेगा । चूंकि इस सत्र में एक भी अल्पसूचित प्रश्न, तारांकित प्रश्न, ध्यानाकर्षण, शून्यकाल, गैर सरकारी संकल्प आदि नहीं हो सका । यह संसदीय लोकतंत्र के शुभ संकेत नहीं है । हमारे देश को आजाद कराने में हजारों-हजार लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, बहुत ही मेहनत, मशक्कत के बाद संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया गया, जिसमें डॉ० भीमराव अम्बेदकर ने समाज के सबसे कमजोर वर्ग को भी अधिकार दिया और वो अधिकार इसी सदन के माध्यम से दिखाई पड़ती है । सदन राज्य की विकास आदि की भविष्य को तय करता है । इसलिए हमसब लोगों की जिम्मेवारी है कि संसदीय लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखने के लिए प्रयत्नशील रहे जिससे कि हमारा संसदीय लोकतंत्र सुरक्षित रह सके ।

अब आप सबलोग चुनावी प्रक्रिया में जाने वाले है आपकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ ।

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित की जाती है ।

❋❋❋❋❋